

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
13.12.2017	<p>राज्य द्वारा ए डी पी ओ।</p> <p>प्रकरण जमानतदार की उपस्थित एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है।</p> <p>जमानतदार शिवराम सिंह के पुत्र त्रिभुवन सिंह निवासी मनहड़ द्वारा उपस्थित होकर एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि उनके पिता द्वारा रामनारायण की जमानत दी गई थी। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा वह आठ भाई हैं। जमानत देने के संबंध में कम से कम राशि से समहृत्त किये जाने का निवेदन किया है। उसके साथ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति एवं ग्राम पंचायत का पंचनामा प्रस्तुत किया गया।</p> <p>ए0डी0पी0ओ0 को सुना गया।</p> <p>प्रकरण न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद के दण्डिक प्रकरण क0 385/90 में अभियुक्त रामनारायण की उपस्थित हेतु पाबंद जमानत 2500/- रुपये के संबंध में जमानतदार शिवराम सिंह द्वारा जमानत दी गई थी, किन्तु नियत दिनांक को उपस्थित न रखे जाने से धारा 446 दफ़्त के अधीन 13.06.1991 को कार्यवाही प्रारंभ की गई। जमानतदार की मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार वर्ष 2005 में हो चुकी है। साथ ही मूल प्रकरण 385/90 के संबंध में कोई अभिलेख से जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। संभवतः इतना प्राचीन प्रकरण वर्तमान तक लंबित होना संभव प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>धारा 446 दफ़्त के अधीन जमानतदार का पुत्र त्रिभुवन सिंह उपस्थित हुआ है जो कि उसके पिता की मृत्यु हो जाने एवं आठ भाई होने का कथन कर रहा है। ऐसी दशा में प्रकरण के अतिप्राचीन होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए और लंबित रखे जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता। अतः जमानतदार की सम्पत्ति से 200/- रुपये समहृत्त किये जाने का आदेश किया जाता है। शेष राशि मुक्त की जाती है।</p> <p>त्रिभुवन सिंह ने 200/- रुपये की राशि जमा करने का निवेदन किया है अतः उक्त राशि जमा की जाये। रसीद क0 29 बुक क0 6909 पर 200/- रुपये की राशि जमा की गई।</p> <p>प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं। अतः प्रकरण का परिणाम संलग्न अभिलेख में दर्ज कर अभिलेखागार प्रेषित हो।</p>	<p>32/6909 42/200 जावर</p> <p>त्रिभुवन सिंह</p>

(A. G. Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt. Bhind (M.P.)